राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141–2227884
ई–मेल : seprd1235@gmail.com, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (657) पंरावि/पीसी/एफएफसी/वाहन/2018–19/ 66 जयपुर, दिनांक : 08/01/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद – समस्त।
विकास अधिकारी
पंचायत समिति – समस्त।

विषय :– 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत अनुमत प्रावधान के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद में कार्यरत अभियन्ताओ को निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :– 14वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देश क्रमांक 19920–22 दिनांक 29.11.2016

14वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देश क्रमांक 19920–22 दिनांक 29.11.2016 में 10 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु प्राथमिकता एवं उपयोग का प्रतिशत निर्धारित किया हुआ है, जिसके अनुसार प्राथमिकता संख्या 11 पर "**निरीक्षण कार्यों हेतु वाहन किराये पर लेने पर व्यय। तकनीकी अधिकारियों द्वारा यदि उक्त सेवा ग्राम पंचायतों के समूह स्तर पर ली गई है, तो खर्चा सेवा के अनुपात में बांटा जावेगा, इस हेतु 20000/– प्रति माह प्रति ग्राम पंचायत का व्यय अनुमत है और दो वाहन प्रत्येक पंचायत समिति पर जिनकी लागत प्रत्येक पंचायत से एकत्रित कर उपयोग की जावेगी**" बाबत प्रावधान अंकित है। इसके उपरान्त भी विभाग को यह ध्यान में लाया गया है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद में कार्यरत अभियन्ताओ को निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते है। अतः उक्त निर्देशो की पालना के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. विकास कार्यो के निरीक्षण हेतु वाहन किराये पर लेने की कार्यवाही की जावे। वाहन का उपयोग पंचायत समिति एवं जिला परिषद में कार्यरत अभियन्ताओ द्वारा किया जावेगा।

2. **वाहनो की संख्या :–**

   - **जिला परिषद** में 3 अधिशाषी अभियंता, 3 सहायक अभियंता पदस्थापित हैं। अधिशाषी अभियंताओं को जिलों की विभिन्न पंचायत समितियां क्लस्टर के रूप में आवंटित हैं। जिनके द्वारा फील्ड में भ्रमण के दौरान विभाग की सभी योजनाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया जाता है। अतः जिला परिषद स्तर पर कार्यरत प्रत्येक अधिशाषी अभियंताओं को मासिक आधार पर एक वाहन उपलब्ध करवाया जावेगा।

D:\Desktop Data\Guidline\Hairing of Vhicle.doc

- **पंचायत समिति स्तर** पर दो सहायक अभियंता कार्यरत हैं अतः अधिकतम दो वाहन पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध करवाये जावे।
- 14वें वित्त आयोग के निर्माण कार्यो की सघन/विशेष जांच/चेकिंग हेतु आवश्यकतानुसार वाहन लिए जा सकेंगे एवं इनका भुगतान भी उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।
- पंचायत समिति मे दो सहायक अभियन्ता के पद के विरूद्ध एक कार्मिक कार्यरत होने पर एक ही वाहन किराये पर लिया जावे।

3. **वाहन उपयोगकर्ता** :– पंचायत समिति स्तर पर सहायक अभियंता एवं जिला परिषद स्तर पर अधिशाषी अभियंता द्वारा कार्यों के निरीक्षण हेतु वाहन का उपयोग किया जावेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विकास अधिकारी, प्रधान एवं अन्य अधिकारी पूर्व से उपलब्ध वाहन का ही उपयोग करेंगे। 14वें वित्त आयोग मद मे उपलब्ध होने वाले वाहन के उपयोग हेतु प्रत्येक वाहन उपयोग कर्ता के लिये 14 वां वित्त आयोग मद के कार्य चेक करना बाध्यता होगी।

4. वित्त विभाग की निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा के अनुसार वाहन किराये पर लिया जा सकेगा। वित्त विभाग द्वारा मासिक आधार पर वाहन लेने की निम्न सीमा निर्धारित है (परिपत्र दिनांक 15.7.2015) :–
   - **पंचायत समिति स्तर पर** :– Rs. 20000/- per month (Service tax extra if applicable) for 1500 Kms. For offices having a city (municipal limits of town) as their jurisdication
   - **जिला परिषद स्तर पर** :– The maximum ceiling of Rs. 23625/- per month (Service tax extra if applicable) for 2000 Kms, For offices having a district as ther jurisdication.
   - If in an office, a vehicle is required on as and when basis, it may be hired with due permission of Panchayati Raj Department/Finance Department. The maximum ceiling of expenditure in a month would be Rs. 10000/- per month.

5. **भुगतान प्रक्रिया** :–
   - पंचायत समिति द्वारा लिये गये वाहन की राशि का भुगतान :– 14वें वित्त आयोग की राशि सीधे ही ग्राम पंचायतो को उपलब्ध कराई जाती है। तकनीकी अधिकारियों द्वारा उक्त सेवा ग्राम पंचायतों के समूह स्तर पर जावेगी। अतः खर्चा सेवा के अनुपात में बांटा जावेगा। राशि को ग्राम पंचायत स्तर पर ही रखी जावे।
   - राशि भुगतान के संबंध में संबंधित अभियन्ता, जिसको वाहन आवंटित किया गया है, द्वारा प्रमाणित बिल सीधे ही संबंधित ग्राम पंचायत को भुगतान हेतु कलेण्डर के आधार पर अग्रेषित किया जा सकेगा एवं इस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतम 3 दिवस मे संबंधित वेन्डर को भुगतान कर दिया जावे।
   - आवश्यक होने पर किसी बिल की राशि एक से अधिक पंचायतो से भी भुगतान कराई जा सकेगी।
   - जिला परिषद एवं पंचायत समिति द्वारा लिये जाने वाले वाहनो की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये, मासिक बिल का भुगतान रोटेशन के आधार पर जिन ग्राम पंचायतो से कराया जाना है, उनका एक कलेण्डर तैयार कर लिया जावे एवं संबंधित माह का बिल कलेण्डर के अनुसार संबंधित पंचायत को प्रेषित कर दिया जावें।

6. **अधिकतम व्यय सीमा :–** 14वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देश दिनांक 29.11.2016 के अनुसार वाहन हेतु निर्धारित राशि रू. 20000/– प्रति ग्राम पंचायत प्रति माह की दर से राशि व्यय की जावेगी। सभी जिलों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में 14 वें वित्त आयोग मद की अनुदान राशि में से उपरोक्त उपलब्ध राशि की सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। यदि उपलब्ध राशि की सीमा से अधिक व्यय होता है तो इसका वहन अन्य योजनाओं जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना, ग्रामीण आवास निर्माण के प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण व्यवस्था हेतु वाहन का पूल बनाया जाकर अभियंताओं को वाहन उपलब्ध करवाया जा सकता है अथवा वाहन का व्यय वहन किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं किसी भी प्रकार की समस्या की स्थिति में तत्काल मुख्यालय को सूचित करें।

21-08-17

(राजेश्वर सिंह)
अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद–समस्त एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति समस्त को पालनार्थ एवं किसी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में तत्काल मुख्यालय को सूचित करने का श्रम करें।
6. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता